Government of India
Ministry of Women and Child Development
(Child Welfare-I Division)

VACANCY CIRCULAR FOR APPOINTMENT OF CONSULTANT

Child Welfare-I Division of Ministry of Women and Child Development require the services of one Junior Consultant at remuneration of Rs. 60,000/- per month and one Young Professional at remuneration of Rs. 30,000/- per month consolidated on contract basis for a period of one year. Terms of reference are at **Annexure-I.**

2.) Applications from eligible candidates for the aforesaid position are invited in the enclosed pro-forma (Annexure-II) along with the copies of certificates of essential qualification and experience. The applications may be addressed to the Under Secretary (Child Welfare-I Division), Ministry of Women and Child Development, Room No. 628, 6th Floor, A-wing, Shastri Bhawan, New Delhi-110001.

3.) Applications received incomplete or after due date will not be considered. Only shortlisted candidates will be intimated and called for interview.

4.) The Ministry of Women and Child Development reserves the right to reject any application without assigning any reason.

5.) Dully filled in application forms along with relevant documents may be submitted within 15 days of the publication of this advertisement in Newspaper.

(Shailendra Kureel)
Under Secretary to the Govt. of India

ANNEXURE-II

APPLICATION FOR THE POST OF JUNIOR CONSULTANT AND YOUNG PROFESSIONAL FOR CHILD WELFARE-I DIVISION OF MINISTRYOF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT

BIO-DATA

RECENT PASSPORT SIZE PHOTOGRAPH

1. Name of the Post applying for:
2. Name of the Candidate:
3. Father/Spouse/Guardian's Name:
4. Address:

a. Permanent:
b. Present:

5. Telephone/Mobile:

6. Email:

7. Date of Birth and Nationality:

8. Educational Qualifications(from graduation to professional qualification):

S. No.	Name of Degree	Board/ Institution University	Year of Passing	% of marks obtained

9. Other Trainings [indicate significant training since degrees under Sl. No. 8-Educational Qualification]:

10. Work experience/ employment record:

S. No.	From (date)	To (Date)	Duration (years-months)	Employer /organisation	Designation	Description of Duties

Note: exact date of employment has to be filled in :

11. Brief description about your suitability for the applied position (Maximum 300 words)

12. Certification:*

I, the undersigned, certify that to the best of my knowledge and belief , this Application Form correctly describes myself, my qualifications, and my experience. I understand that any wilful misstatement described herein may lead to my disqualification or dismissal, at any stage

Place:

Date:

[Signature of the Candidate]

*Application with certification as above not duly signed by the candidate will be rejected at the outset.

Terms of Reference for engaging consultant

1	Name of Post	Junior Consultant
2.	Number of Post	One(01)
3.	Essential Qualifications	Masters degree in relevant subject or technical qualifications like B.Tech, MBA, Master in Social Welfare, LLB or equivalent in relevant field/subject from a recognized university.
4	Desired Qualifications	Proficiency in use of Computers, MS-Office, Internet, Creative Work designing, Presentation, Compilation, Writing reports, Coordination etc.
5	Experience in relevant field	3 years to 7 years experience in relevant field.
6	Scope of Work	i. The candidate must have minimum 3 years to 7 years experience in handling , official matters with government, autonomous bodies or private organizations, preferably on issues related to child welfare/ child rights. ii. Must have good communication skills. iii. Should have proficiency in working on computer. iv. He/She shall preparing concept notes, citation etc. on issue of National Children Awards. v. Provide technical support towards development of monitoring report templates. vi. Coordination and follow up with line Ministries vii. He/She will attend to any other relevant work of the Section whenever assigned.
7.	Method of Recruitment	Short Term on Contract

8	Period of Contract	The appointment to the above posts will be purely on contract basis till continuation of the Scheme. Probation period will be 30 days from the date of joining. Further extension will be considered based on the work performance and on need basis.
9.	Age limit	Upto 35 years.
10.	Remuneration (per month)	Consolidated remuneration of Rs. 60,000/- (Rupees Sixty Thousand Only) on monthly basis.
11.	Other	i. The Consultants will not be entitled for any monthly allowances including conveyance. However, in case he/she is required to travel outside Delhi in the context of the work/assignment, the Ministry shall reimburse the charges at par with the government employees in the grade pay of Rs. 5400/6600 or equivalent as per the existing Rules/regulations of the Central Government. ii. The Consultants will not be eligible for any other facilities such as residential telephone, residential accommodation, CGHS and Medical reimbursement, personal support staff, transport facilities etc. iii. The Consultant shall be eligible for 12 days leave in a calendar year on pro-rata basis. Therefore, the Consultant shall not draw any remuneration for the absence in case of absence beyond 12 days in a year (calculated on a pro-rata basis). Also un-availed leave in a year cannot be carried forward to next calendar year.

		iv. The Consultant will be required to discharge the duties as assigned to him/her by the Ministry. v. The income Tax or any other tax liable to be deducted, as per the prevailing rules will be deducted at source before effecting the payment for which the Ministry will issue TDS Certificate(s). vi. The Intellectual Property Rights (IPR) of the data collected as well as the deliverables produced for the Ministry shall remain with the Ministry. No one shall utilize or publish or disclose or part with to a third party, any part of the data or statistics or proceedings or information collected for the purpose of this assignment from the Ministry without written consent of the Ministry. The consultants shall be bound to hand-over the entire set of records of assignment to the Ministry before the expiry for the contract and before the final payments is released by the Ministry. vii. The appointment to this Ministry, shall in no case represent or give opinion or advice to others in any matter which is adverse to the interest of the Ministry. viii. The Competent Authority reserves the rights to terminate the contract without giving any explanation or whatsoever on the following grounds:- If the Consultant is unable to

		address the assigned work, Quality of the assigned works is not to the satisfaction, if the Consultant is found lacking in honesty and integrity, the Competent Authority in the Ministry reserves the right to terminate the contract by giving fifteen days notice. i. Termination shall be effected by written notice served to him/her and shall take effect in 15 days of delivery of such notice. The termination will be without prejudice to either party`s rights accrued before termination. ii. The Consultant is required to give one month notice to the Ministry in case he/she opts to quit the job or assignment. iii. Jurisdiction for legal disputes, if any arising during the period of the contract, will be in Delhi Courts only.

Terms of Reference for engaging consultant

1	Name of Post	Young Professional
2.	Number of Post	One(01)
3.	Essential Qualifications	Bachelor's degree or technical qualifications in relevant/subject from a recognized university.
4	Desired Qualifications	Proficiency in use of Computers, MS-Office, Internet, Creative Work designing, Presentation, Compilation, Writing reports, Coordination etc.
5	Experience in relevant field	1 year to 3 years experience in relevant field.
6	Scope of Work	i. The candidate must have minimum 1 year to 3 years experience in handling , official matters with government, autonomous bodies or private organizations, preferably on issues related to child welfare/ child rights. ii. Must have good communication skills. iii. Should have proficiency in working on computer. iv. He/She shall preparing concept notes, citation etc. on issue of National Children Awards. v. Provide technical support towards development of monitoring report templates. vi. Coordination and follow up with line Ministries vii. He/She will attend to any other relevant work of the Section whenever assigned.
7.	Method of Recruitment	Short Term on Contract

8	Period of Contract	The appointment to the above posts will be purely on contract basis till continuation of the Scheme. Probation period will be 30 days from the date of joining. Further extension will be considered based on the work performance and on need basis.
9.	Age limit	Upto 28 years.
10.	Remuneration (per month)	Consolidated remuneration of Rs. 30,000/- (Rupees Thirty Thousand Only) on monthly basis.
11.	Other	i. The Consultants will not be entitled for any monthly allowances including conveyance. However, in case he/she is required to travel outside Delhi in the context of the work/assignment, the Ministry shall reimburse the charges at par with the government employees in the grade pay of Rs. 5400/6600 or equivalent as per the existing Rules/regulations of the Central Government. ii. The Consultants will not be eligible for any other facilities such as residential telephone, residential accommodation, CGHS and Medical reimbursement, personal support staff, transport facilities etc. iii. The Consultant shall be eligible for 12 days leave in a calendar year on pro-rata basis. Therefore, the Consultant shall not draw any remuneration for the absence in case of absence beyond 12 days in a year (calculated on a pro-rata basis). Also un-availed leave in a year cannot be carried forward to next calendar year.

		iv. The Consultant will be required to discharge the duties as assigned to him/her by the Ministry. v. The income Tax or any other tax liable to be deducted, as per the prevailing rules will be deducted at source before effecting the payment for which the Ministry will issue TDS Certificate(s). vi. The Intellectual Property Rights (IPR) of the data collected as well as the deliverables produced for the Ministry shall remain with the Ministry. No one shall utilize or publish or disclose or part with to a third party, any part of the data or statistics or proceedings or information collected for the purpose of this assignment from the Ministry without written consent of the Ministry. The consultants shall be bound to hand-over the entire set of records of assignment to the Ministry before the expiry for the contract and before the final payments is released by the Ministry. vii. The appointment to this Ministry, shall in no case represent or give opinion or advice to others in any matter which is adverse to the interest of the Ministry. viii. The Competent Authority reserves the rights to terminate the contract without giving any explanation or whatsoever on the following grounds:- If the Consultant is unable to

		address the assigned work, Quality of the assigned works is not to the satisfaction, if the Consultant is found lacking in honesty and integrity, the Competent Authority in the Ministry reserves the right to terminate the contract by giving fifteen days notice. i. Termination shall be effected by written notice served to him/her and shall take effect in 15 days of delivery of such notice. The termination will be without prejudice to either party`s rights accrued before termination. ii. The Consultant is required to give one month notice to the Ministry in case he/she opts to quit the job or assignment. iii. Jurisdiction for legal disputes, if any arising during the period of the contract, will be in Delhi Courts only.

भारत सरकार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

(बाल कल्याण-। प्रभाग)

<u>परामर्शदाता की नियुक्ति के लिए रिक्ति परिपत्र</u>

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के बाल कल्याण-। प्रभाग के लिए 60,000/-रुपये प्रति माह के समेकित पारिश्रमिक पर एक कनिष्ठ परामर्शदाता और 30,000/-रुपये प्रति माह के समेकित पारिश्रमिक पर एक युवा व्यावसायिक की सेवाएं एक वर्ष की अवधि के लिए 31.10.2019 तक संविदा के आधार पर अपेक्षित हैं । नियुक्ति से संबंधित शर्तें **अनुलग्नक-।** में दी गई हैं ।

2. उक्त पदों के लिए पात्र उम्मीदवारों से संलग्न प्रपत्र **(अनुलग्नक-।।)** में आवेदन पत्र अनिवार्य अर्हताओं और अनुभव से संबंधित प्रमाण पत्रों की प्रतियों के साथ आमंत्रित किए जाते हैं । आवेदन पत्र अवर सचिव (बाल कल्याण-। प्रभाग), महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, कमरा नं. 628, छठा तल, 'ए' विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-।।0001 को भेजे जाएं ।

3. अधूरे आवेदनों अथवा अंतिम तारीख के पश्चात प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा । केवल चुने हुए उम्मीदवारों को सूचित कर साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा ।

4. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय किसी भी आवेदन पत्र को बिना कोई कारण बताए अस्वीकार कर सकता है ।

5. प्रासंगिक दस्तावेज़ के साथ समुचित रूप से भरे गए आवेदन पत्र समाचार पत्र में इस विज्ञापन के प्रकाशन की तारीख से 15 दिनों के भीतर प्रस्तुत कर दिए जाएं ।

शैलेन्द्र कुरील

(शैलेन्द्र कुरील)

अवर सचिव, भारत सरकार

अनुलग्नक-II

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के बाल कल्याण-I प्रभाग के लिए कनिष्ठ परामर्शदाता और युवा व्यावसायिक के पद के लिए आवेदन पत्र

<u>जीवन-वृत्त</u>

पासपोर्ट आकार का हाल ही में खींचा गया फोटो चिपकाएं

1. पद का नाम :

2. उम्मीदवार का नाम :

3. पिता/पति अथवा पत्नी/अभिभावक का नाम :

4. पता :

    क) स्थायी :

    ख) वर्तमान :

5. टेलीफोन/मोबाइल नं. :

6. ई-मेल :

7. जन्म तिथि और राष्ट्रीयता :

8. शैक्षणिक अर्हताएं (स्नातक स्तर से लेकर व्यावसायिक अर्हताओं तक) :

क्र.सं.	डिग्री का नाम	बोर्ड/संस्था/विश्वविद्यालय	उत्तीर्ण करने का वर्ष	प्राप्तांकों का %

9. अन्य प्रशिक्षण [क्रम सं. 8- शैक्षणिक अर्हताओं के अंतर्गत डिग्री प्राप्ति के पश्चात प्राप्त महत्वपूर्ण प्रशिक्षण का उल्लेख करें]:

10. कार्य अनुभव/नियोजन का रिकार्ड :

क्र.सं.	से (तारीख)	तक (तारीख)	अवधि (वर्ष-माह)	नियोक्ता/संगठन	पदनाम	किए गए कार्यों का विवरण

नोट : नियोजन की सही तारीख भरी जाए :

11. आवेदित पद के लिए आपकी उपयुक्तता के संबंध में संक्षिप्त विवरण (अधिकतम 300 शब्द)

12. प्रमाणीकरण :*

यह प्रमाणित किया जाता है कि मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार इस आवेदन प्रपत्र में मेरे, मेरी अर्हताओं और अनुभव के संबंध में दी गई जानकारी सही है । मुझे ज्ञात है कि यहां जानबूझ कर दी गई गलत जानकारी के कारण भविष्य में किसी भी समय मुझे अयोग्य घोषित अथवा बर्खास्त किया जा सकता है ।

स्थान :

तारीख :

[उम्मीदवार के हस्ताक्षर]

*प्रमाणीकरण के साथ आवेदन पत्र उम्मीदवार द्वारा यथा हस्ताक्षरित न होने की स्थिति में आवेदन को प्रारंभ में ही अस्वीकार कर दिया जाएगा ।

अनुलग्नक-I

परामर्शदाता नियुक्त करने के लिए शर्तें

1	पद का नाम	कनिष्ठ परामर्शदाता
2	पदों की संख्या	एक (1)
3	अनिवार्य अर्हताएं	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में स्नातकोत्तर उपाधि अथवा तकनीकी अर्हताएं, जैसे बी.टैक, एम.बी.ए., समाज कल्याण में स्नात्कोत्तर, एलएलबी अथवा समकक्ष ।
4	वांछित अर्हताएं	कंप्यूटर, एमएसऑफिस, इंटरनेट, क्रिएटिव वर्क डिज़ाइनिंग, प्रस्तुति, संकलन, रिपोर्ट लेखन, समन्वय आदि के प्रयोग में प्रवीणता
5	प्रासंगिक क्षेत्र में अनुभव	प्रासंगिक क्षेत्र में 3-7 वर्ष का अनुभव
6	कार्य क्षेत्र	(i) उम्मीदवार को सरकार, स्वायत्त निकायों या निजी संगठनों के साथ आधिकारिक मामलों, विशेषत: बाल कल्याण/बाल अधिकार से संबंधित विषयों को संभालने का कम से कम 3-7 वर्षका अनुभव होना चाहिए । (ii) अच्छा संप्रेषण कौशल होना चाहिए। (iii) कंप्यूटर पर काम करने में प्रवीणता होनी चाहिए । (iv) राष्ट्रीय बाल पुरस्कारों से संबंधित अवधारणा नोट, प्रशस्ति-पत्र आदि तैयार करने होंगे । (v) मॉनिटरिंग रिपोर्ट टेम्पलेट्स तैयार करने की दिशा में तकनीकी सहायता प्रदान करना । (vi) संबंधित मंत्रालयों के साथ समन्वय और अनुवर्ती कार्रवाई करना । (vii) अनुभाग का समय-समय पर दिया जाने वाला अन्य संबंधित कार्य करना ।
7	भर्ती का तरीका	अल्पावधि अनुबंध
8	अनुबंध की अवधि	उपरोक्त पद पर नियुक्ति, स्कीम के जारी रहने तक पूर्णत: अनुबंध के आधार पर होगी । परिवीक्षा अवधि, ज्वाइन करने की तारीख से 30 दिन की होगी । आगे जारी रखने पर विचार कार्य-निष्पादन तथा आवश्यकता के आधार पर किया जाएगा ।
9	आयु सीमा	35 वर्ष तक ।
10	पारिश्रमिक (प्रति माह)	60,000/- रूपए (साठ हजार रूपए) प्रति माह का समेकित पारिश्रमिक ।
11	अन्य	(i) परामर्शदाता को यात्रा-भत्ता सहित अन्य कोई मासिक भत्ता देय नहीं होगा । तथापि, यदि कार्य / असाइनमेंट के सन्दर्भ में उसे दिल्ली से बाहर जाना पड़ जाता है तो मंत्रालय खर्चों की प्रतिपूर्ति केन्द्रीय सरकार के मौजूदा नियमों / विनियमो के अनुसार 5400 / 6600 रूपए या समतुल्य के ग्रेड वेतन में कार्यरत अन्य कर्मचारियों के समान करेगी । (ii) परामर्शदाता अन्य सुविधाओं जैसे आवास पर टेलीफोन, आवास की व्यवस्था, सीजीएचएस और चिकित्सा खर्चों की प्रतिपूर्ति, व्यक्तिगत सहायता कर्मी,परिवहन सुविधा आदि के लिए पात्र नहीं होगा । (iii) परामर्शदाता को आनुपातिक आधार पर एक कैलेण्डर वर्ष में 12 दिन का अवकाश देय होगा । अत:, यदि परामर्शदाता एक वर्ष में 12 दिन से अधिक (यथानुपात आधार पर गणना करके) की

अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है तो उसे ऐसी अनुपस्थिति के लिए पारिश्रमिक देय नहीं होगा । साथ ही, बची हुई छुट्टियां अगले वर्ष देय नहीं होंगी ।

(iv) परामर्शदाता को मंत्रालय द्वारा उसे सौंपा गया कार्य करना होगा ।

(v) आयकर अथवा मौजूदा नियमों अनुसार अन्य कोई संदेय कर की कटौती भुगतान करने से पूर्व मंत्रालय द्वारा स्रोत पर ही कर ली जाएगी, जिसके लिए मंत्रालय टीडीएस प्रमाण-पत्र जारी करेगा ।

(vi) एकत्रित आंकड़ों के बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) के साथ-साथ मंत्रालय के लिए उत्पादित प्रदेय मंत्रालय के पास रहेंगे । परामर्शदाता, मंत्रालय की लिखित सहमति के बिना मंत्रालय से इस नियत कार्य के प्रयोजन के लिए एकत्र किए गए आंकड़े या सांख्यिकी या कार्यवाही या जानकारी का कोई भाग अन्य किसी तीसरे पक्ष के साथ कोई भी उपयोग या प्रकाशन या खुलासा या प्रदान नहीं करेगा । परामर्शदाता अनुबंध की समाप्ति से पहले और मंत्रालय द्वारा अंतिम भुगतान जारी किए जाने से पहले नियत कार्य के रिकॉर्ड का पूरा सैट मंत्रालय को सौंपने के लिए बाध्य होगा ।

(vii) इस मंत्रालय में नियुक्त परामर्शदाता किसी भी मामले में किसी अन्य व्यक्ति का किसी भी रूप में ऐसा प्रतिनिधित्व नहीं करेगा या राय नहीं देगा या सलाह नहीं देगा जो मंत्रालय के हित के प्रतिकूल हो ।

(viii) सक्षम प्राधिकारी के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि वह कोई स्पष्टीकरण या अन्य कोई कारण दिए बिना निम्नलिखित आधार पर अनुबंध को समाप्त कर सके - :

यदि परामर्शदाता सौपे गए काम का समाधान करने में असमर्थ है, सौंपे गए कार्यों की गुणवत्ता संतुष्टि के अनुरूप नहीं है और यदि परामर्शदाता में ईमानदारी और सत्यनिष्ठा की कमी महसूस की जाती है ।

मंत्रालय में सक्षम प्राधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह पंद्रह दिन की सूचना देकर अनुबंध समाप्त कर सके ।

(ix) अनुबंध की समाप्ति उसे लिखित नोटिस देकर की जा सकेगी और समाप्ति इस तरह के नोटिस देने के 15 दिनों में प्रभावी होगी । अनुबंध की समाप्ति से पूर्व अर्जित पार्टी के अधिकारों के पूर्वाग्रह बिना, अनुबंध समाप्त हो जाएगा।

(i) यदि परामर्शदाता कार्य या असाइनमेंट को छोड़ना चाहता है तो उसे मंत्रालय को एक महीने का नोटिस देना होगा ।

(xi) अनुबंध की अवधि के दौरान यदि कोई कानूनी विवाद उत्पन्न होता है तो उसके लिए क्षेत्राधिकार केवल दिल्ली के न्यायालयों का होगा ।

परामर्शदाता नियुक्त करने के लिए शर्तें

1	पद का नाम	युवा व्यावसायिक
2	पदों की संख्या	एक (1)
3	अनिवार्य अर्हताएं	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में स्नातक उपाधि अथवा तकनीकी अर्हताएं।
4	वांछित अर्हताएं	कंप्यूटर, एमएसऑफिस, इंटरनेट, क्रिएटिव वर्क डिज़ाइनिंग, प्रस्तुति, संकलन, रिपोर्ट लेखन, समन्वय आदि के प्रयोग में प्रवीणता
5	प्रासंगिक क्षेत्र में अनुभव	प्रासंगिक क्षेत्र में 1-3 वर्ष का अनुभव
6	कार्य क्षेत्र	(i) उम्मीदवार को सरकार, स्वायत्त निकायों या निजी संगठनों के साथ आधिकारिक मामलों, विशेषत: बाल कल्याण/बाल अधिकार से संबंधित विषयों को संभालने का कम से कम 1-3 वर्षका अनुभव होना चाहिए। (ii) अच्छा संप्रेषण कौशल होना चाहिए। (iii) कंप्यूटर पर काम करने में प्रवीणता होनी चाहिए। (iv) राष्ट्रीय बाल पुरस्कारों से संबंधित अवधारणा नोट, प्रशस्ति-पत्र आदि तैयार करने होंगे। (v) मॉनिटरिंग रिपोर्ट टेम्पलेट्स तैयार करने की दिशा में तकनीकी सहायता प्रदान करना। (vi) संबंधित मंत्रालयों के साथ समन्वय और अनुवर्ती कार्रवाई करना। (vii) अनुभाग का समय-समय पर दिया जाने वाला अन्य संबंधित कार्य करना।
7	भर्ती का तरीका	अल्पावधि अनुबंध
8	अनुबंध की अवधि	उपरोक्त पद पर नियुक्ति, स्कीम के जारी रहने तक पूर्णत: अनुबंध के आधार पर होगी। परिवीक्षा अवधि, ज्वाइन करने की तारीख से 30 दिन की होगी। आगे जारी रखने पर विचार कार्य-निष्पादन तथा आवश्यकता के आधार पर किया जाएगा।
9	आयु सीमा	28 वर्ष तक।
10	पारिश्रमिक (प्रति माह)	30,000/- रूपए (तीस हजार रूपए) प्रति माह का समेकित पारिश्रमिक।
11	अन्य	(i) परामर्शदाता को यात्रा-भत्ता सहित अन्य कोई मासिक भत्ता देय नहीं होगा। तथापि, यदि कार्य/असाइनमेंट के सन्दर्भ में उसे दिल्ली से बाहर जाना पड़ जाता है तो मंत्रालय खर्चों की प्रतिपूर्ति केन्द्रीय सरकार के मौजूदा नियमों/विनियमो के अनुसार 5400/ 6600 रूपए या समतुल्य के ग्रेड वेतन में कार्यरत अन्य कर्मचारियों के समान करेगी। (ii) परामर्शदाता अन्य सुविधाओं जैसे आवास पर टेलीफोन, आवास की व्यवस्था, सीजीएचएस और चिकित्सा खर्चों की प्रतिपूर्ति, व्यक्तिगत सहायता कर्मी,परिवहन सुविधा आदि के लिए पात्र नहीं होगा। (iii) परामर्शदाता को आनुपातिक आधार पर एक कैलेण्डर वर्ष में 12 दिन का अवकाश देय होगा। अत:, यदि परामर्शदाता एक वर्ष में 12 दिन से अधिक (यथानुपात आधार पर गणना करके) की अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है तो उसे ऐसी अनुपस्थिति के लिए पारिश्रमिक देय नहीं होगा। साथ ही, बची हुई छुट्टियां अगले वर्ष देय नहीं होंगी।

		(iv) परामर्शदाता को मंत्रालय द्वारा उसे सौंपा गया कार्य करना होगा । (v) आयकर अथवा मौजूदा नियमों अनुसार अन्य कोई संदेय कर की कटौती भुगतान करने से पूर्व मंत्रालय द्वारा स्रोत पर ही कर ली जाएगी, जिसके लिए मंत्रालय टीडीएस प्रमाण-पत्र जारी करेगा । (vi) एकत्रित आंकड़ों के बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) के साथ-साथ मंत्रालय के लिए उत्पादित प्रदेय मंत्रालय के पास रहेंगे । परामर्शदाता, मंत्रालय की लिखित सहमति के बिना मंत्रालय से इस नियत कार्य के प्रयोजन के लिए एकत्र किए गए आंकड़े या सांख्यिकी या कार्यवाही या जानकारी का कोई भाग अन्य किसी तीसरे पक्ष के साथ कोई भी उपयोग या प्रकाशन या खुलासा या प्रदान नहीं करेगा । परामर्शदाता अनुबंध की समाप्ति से पहले और मंत्रालय द्वारा अंतिम भुगतान जारी किए जाने से पहले नियत कार्य के रिकॉर्ड का पूरा सैट मंत्रालय को सौंपने के लिए बाध्य होगा । (vii) इस मंत्रालय में नियुक्त परामर्शदाता किसी भी मामले में किसी अन्य व्यक्ति का किसी भी रूप में ऐसा प्रतिनिधित्व नहीं करेगा या राय नहीं देगा या सलाह नहीं देगा जो मंत्रालय के हित के प्रतिकूल हो । (viii) सक्षम प्राधिकारी के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि वह कोई स्पष्टीकरण या अन्य कोई कारण दिए बिना निम्नलिखित आधार पर अनुबंध को समाप्त कर सके - : यदि परामर्शदाता सौपे गए काम का समाधान करने में असमर्थ है, सौंपे गए कार्यों की गुणवत्ता संतुष्टि के अनुरूप नहीं है और यदि परामर्शदाता में ईमानदारी और सत्यनिष्ठा की कमी महसूस की जाती है । मंत्रालय में सक्षम प्राधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह पंद्रह दिन की सूचना देकर अनुबंध समाप्त कर सके । (ix) अनुबंध की समाप्ति उसे लिखित नोटिस देकर की जा सकेगी और समाप्ति इस तरह के नोटिस देने के 15 दिनों में प्रभावी होगी । अनुबंध की समाप्ति से पूर्व अर्जित पार्टी के अधिकारों के पूर्वाग्रह बिना, अनुबंध समाप्त हो जाएगा। (ii) यदि परामर्शदाता कार्य या असाइनमेंट को छोड़ना चाहता है तो उसे मंत्रालय को एक महीने का नोटिस देना होगा । (xi) अनुबंध की अवधि के दौरान यदि कोई कानूनी विवाद उत्पन्न होता है तो उसके लिए क्षेत्राधिकार केवल दिल्ली के न्यायालयों का होगा ।